न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 47/15

1. कामडया
2. मडठू पुत्रान भौरया जातियान रेगर निवासीयान पालसोद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
3. रमेश
4. ओमप्रकाश
5. मुकेश पुत्रान मटठू जातियान रेगर निवासीयान पलासोद तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
6. रामदयाल
7. रामस्वरूप
8. राधेश्याम पुत्रान कामडया जातियान रेगर निवासीयान पलासोद तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. नाथ्या पुत्र लटूरया (मृतक)
   1/1. राजाराम
   2/1. गणपत पुत्रान स्व0नाथ्या जातियान रेगर निवासीयान पलासोद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
   1/3. गुडडी पुत्र स्व0 नाथ्या पत्नि मुकेश निवासी ग्राम कुशलपुर तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर
   1/4. कमला पुत्र स्व0नाथ्या जाति रेगर ग्राम पलासोद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
   1/5. नारायणी पत्नि स्व0 नाथ्या जाति रेगर निवासी पलासोद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
2. मोती
3. कल्लू पुत्रान जाति रेगर ग्राम पलासोंद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास
मु0न0 62/11 निर्णय दिनांक 29.1.15)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री हर्षवर्धन शर्मा
2. रेस्पोडेटान की और से श्री तरूण शर्मा

निर्णय

दिनांक 03.10.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मु0नं0 62/11 निर्णय दिनांक 29.1.15 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/सायलान ने एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी ख0न0 120 रकबा 45 ऐयर, ख0न0 122 रकबा 54 ऐयर मोजा बाढ पलासोद तहसील बामनवास रेस्पो0/सायलान की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। जिसमे रेस्पो0/सायल संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है तथा रेस्पो/सायल संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/2 है। सायलान एक ही परिवार के है। रेस्पो/सायल संख्या 2 व 3 की माता मु0 पांची का अरसा करीब एक साल पहले देहान्त हो चुका है। रेस्पो/सायलान उक्त आराजीयात पर अपने अपने हिस्से मुताबिक बहामी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर बदस्तुत खातेदार काश्त करते चले आ रहे है। मुताबिक बहामी बंटवारा ख0न0 122 पर रेस्पो/सायल संख्या 2 व 3 का कब्जा है तथा ख0न0 120 पर

Scanned by CamScanner

रेस्पो/सायल संख्या 1 का कब्जा है। उक्त आराजीयात के आलावा रेस्पो/सायलान की कोई भूमि नही है। अपीलांट/गैरसायलान सरगना एवं मुठमर्द किस्म के व्यक्ति है। रेस्पो/सायलान को आए दिन बेवजह परेशान करते रहते है तथा रेस्पो/सायलान से अपनी खातेदारी भूमि को छीनने पर आमादा है। दिनांक 20.10.11 को रेस्पो/सायलान अपने खेत की मेड से झाड काटने गये तो अपीलांट/गैरसायलान ने मना कर दिया कि तुम्हे इस खेत पर आने की जरूरत नही है और न ही इसमे अब तुमको काश्त करने देगे। दुबारा आ गये तो तुम्हारी खैर नही। यह कि अपीलांट/गैरसायलान जब तक अपनी हरकतो से बाज नही आयेगे जब तक कि उन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि रेस्पो/सायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मे किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/साायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं रिकार्ड के विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है। रेस्पो/सायलान ने अपीलांट का कब्जा हटाने के लिए कोई दावा पेश नही किया है। रेस्पो/सायलान ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बामनवास मे चल रहे आपराधिक प्रकरण संख्या 140/11 उनवानी सरकार बनाम रमेश वगै0 हुए बयानो से स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने भूमि अपीलांट कामडया, मिटठू के गिरवी रखी है एवं भूमि पर कब्जा पिछले काफी लम्बे समय से अपीलांट कामडया ,मटठू का चला आ रहा है एवं न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 5.12.14 के द्वारा अपीलांट कामडया ,मटठू ,रमेश को धारा 447,427,504 आई.पी.सी. के आरोप से बरी किया है। बिना दावा किये भूमि रहन से मुक्त नही होती है तथा कब्जा अपीलांट का बैध होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत दृष्टिकोण से मुकदमे को देखा है। अपीलांट का प्रथम दृष्टया केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे है। अतूल्नीय हानि भी अपीलांट को हो रही है। रेस्पो0 का भूमि पर जब कब्जा ही नही है तो उसका स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नही है। वास्तविकता यह है कि उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलांट ने रेस्पो0 को रूपये उधार देकर भूमि गिरबी रखकर अपीलांट का कब्जा करा रखा है। रेस्पो0 स्वयं वर्तमान मे भी कब्जा अपीलांट का मानते है तथा रेस्पो0 ने कोई दावा अपींलांट का कब्जा हटाने का नही किया है। ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने मे अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.1.15 निरस्त फरमाया जावे।

3-10-19

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में कथन है कि आराजी ख0न0 120 रकबा 45 ऐयर, ख0न0 122 रकबा 54 ऐयर मोजा बाढ पलासोद तहसील बामनवास रेस्पो0/सायलान की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। जिसमे रेस्पो0/सायल संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है तथा रेस्पो/सायल संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/2 है। सायलान एक ही परिवार के है। रेस्पो/सायल संख्या 2 व 3 की माता मु0 पांची का अरसा करीब एक साल पहले देहान्त हो चुका है। रेस्पो/सायलान उक्त आराजीयात पर अपने अपने हिस्से मुताबिक बहामी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर बदस्तुत खातेदार काश्त करते चले आ रहे है। मुताबिक बहामी बंटवारा ख0न0 122 पर रेस्पो/सायल संख्या 2 व 3 का कब्जा है तथा ख0न0 120 पर रेस्पो/सायल संख्या 1 का कब्जा है। उक्त आराजीयात के आलावा रेस्पो/सायलान की कोई भूमि नही है। अपीलांट सरगना एवं मुठमर्द किस्म के व्यक्ति है। रेस्पो0 को आए दिन बेवजह परेशान करते रहते है तथा रेस्पो0 से अपनी खातेदारी भूमि को छीनने पर आमादा है। इस कारण से रेस्पो0/सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीना बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को

Scanned by CamScanner

मद्देनजर रखते हुए ही रेस्पो/सायलान का प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप स्वीकार किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नही है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षो की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2067 के ख0न0 120 रकबा 0.45 है0, ख0न0 122 रकबा 0.54 है0 मे रेस्पो0के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलाट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर वह वतौर कब्जे के आधार पर स्वतः ही खातेदार है जबकि उनके द्वारा ना तो इस न्यायालय मे इस बाबत कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश किया है जिससे उनका कब्जा काश्त सिद्व होता हो। जबकि रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे विवादित आराजीयात की जमाबंदी व गिरदावरी प्रस्तुत की है जिससे रेस्पो0 का कब्जा व खातेदारी अधिकार स्पष्ट है। अपीलांट का कथन रहा है कि रेस्पो0 द्वारा नकद राशि उधार प्राप्त कर विवादित आराजीयात पर कब्जा संभलाया गया है। नकद राशि ब्याज सहित लेने देने से किसी भी भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। नकद राशि प्राप्त करने के लिए कानून मे अलग से व्यवस्था की गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पहले प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ पाईमफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को साबित करना होता है। जिसे अपीलांट द्वारा ना तो इस न्यायालय मे साबित किया गया है ना ही अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त विवचेन से हमारे मतानुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाईश नही होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास मु0न0 62/11 निर्णय दिनांक 29.1.15 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 3.10.19.

(बी0एल0रमण)
सजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.11 17:19:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: